फर्द अहकाम

~~रामचन्द~~ बनाम राम एस. भी.

नाम न्यायालय

दावा

केस संख्या 44/2018

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 3.7-18 | पत्रावली पेश हुई वकील वादी मौजूद। वकील वादी की बहस पर गौर किया व मुआयना किया गया मुआयना रिपोर्ट पर किसी के द्वारा आपत्ति नहीं किये जाने से दावा वादी प्रार्थना मुआयना रिपोर्ट डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः दावा वादी मुताबिक मुआयना रिपोर्ट डिक्री किया जाकर वादी ग्राम [illegible] की जमीन का बाट से ख.नं. 175/586 रकबा 0.265 है; 176 रकबा 0.240 है. किता 2 रकबा 0.505 है भूमि रामचन्द सैनी पुत्र जगदीशनारायण सैनी जाति माली ख.नं. 15 सं. चाकसू के खाते में दर्ज है। ख.नं. 175/1 रकबा 0.025 है, 176/1 रकबा 0.010 है किता 2 रकबा 0.035 है. भूमि एम.एस. कॉलोनी नाईपाली जरिये पार्टनर शिवचन्द सैनी पुत्र फूलचन्द जैन जाति महाजन निवासी सीतीगार रोड जयपुर से खाते में दर्ज है व दावी अनुसार राजीनामा [illegible] किया जाकर [illegible] है। निर्णय व डिक्री [illegible] रहेगी। निर्णय की पालना हेतु किया जावे। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। |

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:39:20 IST
Reason: SelfAttested